

अन्तिम डिक्री
डिक्री बमुकदमें इब्तदाई



(अ. आ. 20 नियम 6-7 व्य.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 422/2022

भूराराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

- फताराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- जयमलराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मदनलाल पुत्र श्री पालीराम जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- मिलखीराज पुत्र श्री पालीराम जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- बलदेव सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जटसिख निवासी धोलीपाल हाल आबाद चक 14 एम.जे.डी. ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- बलराज सिंह पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- भूपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री गुरतेज सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यार सिंह जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- दलजीत सिंह पुत्र श्री गुरजन्त सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यार सिंह जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरजन्त सिंह पुत्र स्व. श्री मुख्त्यार सिंह जाति जाट 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु वाद

दिनांक :- 10/6/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी पेश होने पर तहसीलदार(राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/भू.अ./2023/07 दिनांक 26.04.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर लगातार --2

10/6/23
प्रशासन गाँवों के संग अभियान
शिबिर प्रभारी (SDO)
शिबिर स्थल...

वादीगण का वाद पत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक 14 एम.जे.डी. के खाता सं. 73/58 (कुल रकबा 2.530 है.) की रिकार्ड की स्थिति :-

फत्ताराम, जयमलराम, मिलखीराम, मदनलाल पुत्रगण श्री पालीराम ब.हि.ब. समस्त जाति जाट निवासीगण 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी प.नं. 124/184 मु.नं. 50 कि.नं. 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., गै.मु. रास्ता, 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., गै.मु. रास्ता, 9,12,19,22/0.253 है.प्र., प.नं. 124/185 मु.नं. 59 कि. नं. 2/0.253 है., कुल रकबा 1.771 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि।


भूराराम पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट निवासी 12 एम.जे.डी. पिलानियां वाली ढाणी प. नं. 124/184 मु.नं. 50 कि.नं. 10,11,20/0.253 है.प्र., कुल रकबा 0.759 है. नहरी कृषि भूमि

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जाकाशत के अभाव में नियमानुसार कलमजन किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज निल मुब्लिकनिल बाबत्
निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 10/6/2023 को जारी किया जाता है।



10/6/23
(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारी (सि.सि.),
उपखण्डिक अधिकारी (सि.सि.),
शिविर स्थल, कोलापूर,
संगरिया